

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1527/2025

1. Smt. Lalita W/o Late Shri Ramswaroop, Aged About 53 Years, (Wife Of Deceased)
2. Sonu S/o Late Shri Ramswaroop, Aged About 33 Years, (Son Of Deceased)
Both R/o 12, Prem Nagar, Moongska, Police Station NEB Alwar, District Alwar (Raj.)

----Appellants-Claimants.

Versus

1. Satish Kumar S/o Hariram Meena, R/o Kandoli, Police Station And Tehsil Rajgarh Distt. Alwar, Raj.
(Driver Maruti Omni Van No. RJ-29-PA-0433)
2. Jitendra Singh S/o Shri Guman Singh Rathore, R/o Maharana Colony, Ward No. 12, Bandikui, Distt. Dausa, Rajasthan.
(Owner Maruti Omni Van No. RJ-29-PA-0433).
3. Suresh Chand Yogi S/o Bharat Lal Yogi, R/o Kacchi Basti, Jamdoli, Near Kesav Vidhya Peeth, Luniyawas, Jaipur.
(Owner Power Of Attorney Holder Maruti Omni Van No. RJ-29-PA-0433).
4. Iffco Tokio General Insurance Company Limited, Branch Office, Chamber Of Commerce And Industry, Chamber Bhawan, Delhi Road, Alwar, Raj.
(Insurer Maruti Omni Van No. RJ-29-PA-0433).

----Respondents-Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Sharan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Gopal Prasad Gupta, Adv. for Mr. Ankit Nakwal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

07/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर

(जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या—06/2022 श्रीमती ललिता व अन्य बनाम सतीश कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष रामस्वरूप की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 94,22,000/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए अपीलार्थीगण को कुल 5,54,180/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय 6,552/— रुपये निर्धारित कर त्रुटि कारित की गई है, जबकि मृतक दुर्घटना से पूर्व पोस्ट ऑफिस से सेवानिवृत्त था तथा वक्त घटना पेंशन के रूप में 30,000/— रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :—

- **Kirosata Devi & Ors. Vs. Ram Ji Lal & Ors. in Civil Appeal Arising out of SLP (C) No. 25497/2025, Decided on 17 Nov. 2025**
- **Hanumantharaju B. (Dead) By LR. Vs. M. Akram Pasha & Anr. reported in 2025 SCC OnLine SC 1106**

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण

की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 15.02.2021 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को दुर्घटना से पूर्व पोस्ट ऑफिस से सेवानिवृत्त होना तथा वक्त घटना पेंशन के रूप में 30,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष मृतक की बैंक पासबुक प्रदर्श-16ए प्रस्तुत की गई, जिस पर विद्वान अधिकरण द्वारा विश्वास नहीं करते हुए मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय $252 \times 26 = 6,552/-$ रुपये निर्धारित की गई, जबकि वक्त घटना मृतक की आय उसकी बैंक पासबुक प्रदर्श-16ए में अंकित आय 29,100/- रुपये के आधार पर तय की जानी चाहिए थी।

7. घटना दिनांक 15.02.2021 की बताई गई है तथा वक्त घटना मृतक को 29,100/- रुपये मासिक पेंशन मिलना बताया गया है, जिसकी पुष्टि मृतक की बैंक पासबुक प्रदर्श-16ए से होती है।

8. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Hanumantharaju B. (supra)** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :-

"19. It is also now well settled that the amount of compensation is to be calculated on the basis of last drawn salary of the injured/deceased in respect of salaried persons and pension and such retirement benefits enjoyed cannot be deducted for computing the income, these being statutory rights receivable by the employee or his legal heirs irrespective of any unforeseen incident of accidents, fatal injuries etc. and such pensionary benefit is not directly relatable to the motor accident. Hence, pensionary benefit could not have been treated as "pecuniary advantage" liable to be deducted

for the purpose of computation of compensation within the scope of Motor Vehicles Act, 1988. For this proposition of law, we may refer to the decision in Vimal Kanwar v. Kishore Dan (2013) 7 SCC 476, wherein this Court, by referring to the earlier decision in Helen C. Rebello v. Maharashtra SRTC (1999) 1 SCC 90, held as follows:— 19. The aforesaid issue fell for consideration before this Court in Helen C. Rebello v. Maharashtra SRTC [(1999) 1 SCC 90 :1999 SCC (Cri) 197]. In the said case, this Court held that provident fund, pension, insurance and similarly any cash, bank balance, shares, fixed deposits, etc. are all a “pecuniary advantage” receivable by the heirs on account of one's death but all these have no correlation with the amount receivable under a statute occasioned only on account of accidental death. Such an amount will not come within the periphery of the Motor Vehicles Act to be termed as “pecuniary advantage” liable for deduction. The following was the observation and finding of this Court : (SCC pp. 111-12, para 35) “35. Broadly, we may examine the receipt of the provident fund which is a deferred payment out of the contribution made by an employee during the tenure of his service. Such employee or his heirs are entitled to receive this amount irrespective of the accidental death. This amount is secured, is certain to be received, while the amount under the Motor Vehicles Act is uncertain and is receivable only on the happening of the event viz. accident, which may not take place at all. Similarly, family pension is also earned by an employee for the benefit of his family in the form of his contribution in the service in terms of the service conditions receivable by the heirs after his death. The heirs receive family pension even otherwise than the accidental death. No co-relation between the two. Similarly, life insurance policy is received either by the insured or the heirs of the insured on account of the contract with the insurer, for which the insured contributes in the form of premium. It

is receivable even by the insured if he lives till maturity after paying all the premiums. In the case of death, the insurer indemnifies to pay the sum to the heirs, again in terms of the contract for the premium paid. Again, this amount is receivable by the claimant not on account of any accidental death but otherwise on the insured's death. Death is only a step or contingency in terms of the contract, to receive the amount. Similarly, any cash, bank balance, shares, fixed deposits, etc. though are all a pecuniary advantage receivable by the heirs on account of one's death but all these have no co-relation with the amount receivable under a statute occasioned only on account of accidental death. How could such an amount come within the periphery of the Motor Vehicles Act to be termed as 'pecuniary advantage' liable for deduction. When we seek the principle of loss and gain, it has to be on a similar and same plane having nexus, inter se, between them and not to which there is no semblance of any co-relation. The insured (the deceased) contributes his own money for which he receives the amount which has no co-relation to the compensation computed as against the tortfeasor for his negligence on account of the accident. As aforesaid, the amount receivable as compensation under the Act is on account of the injury or death without making any contribution towards it, then how can the fruits of an amount received through contributions of the insured be deducted out of the amount receivable under the Motor Vehicles Act. The amount under this Act he receives without any contribution. As we have said, the compensation payable under the Motor Vehicles Act is statutory while the amount receivable under the life insurance policy is contractual." Thus, this Court has categorically held that any amount receivable on account of PF, pension or insurance cannot be deducted from the salary of the victim for the purpose of determining the income or loss of earning for calculating compensation. This principle was reiterated in Reliance General

Insurance Co. Ltd. v. Shashi Sharma (2016) 9
SCC 627 and National Insurance Company Ltd.
v. Birender (2020) 11 SCC 356."

9. अतः इन परिस्थितियों में हम, न्यायिक दृष्टांत **Hanumantharaju B. (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए वक्त घटना मृतक को पेंशन स्वरूप होने वाली हानि 29,100/— रुपये होना पाते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार केवलमात्र 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों की निर्धारित आय पर ही भविष्य वृद्धि लागू किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः इन परिस्थितियों में मृतक की 65 की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी आय में कोई भविष्य वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार मृतक की कुल मासिक आय 29,100/— रुपये ही क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

10. वक्त घटना मृतक के ऊपर 2 आश्रित बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 29,100/—रुपये का 1/3 भाग 9,700/—रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 19,400/—रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 61 से 65 वर्ष के मध्य होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **7 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $19,400 \times 12 \times 7 = 16,29,600/—$ रुपये होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अपीलार्थीगण को मात्र 40,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी**

लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021)

11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी

लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहुरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18

एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

12. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में कंसोर्टियम, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि की मद में 10 प्रतिशत राशि बढ़ाये जाने का आदेश दिया गया है, इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे।

13. हस्तगत मामले की घटना दिनांक 15.02.2021 की है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहुरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थिया संख्या-1 को "स्पाउस कंसोर्टियम" की मद में 44,000/- रुपये तथा मृतक के पुत्र अपीलार्थी संख्या-2 को "पैरेण्टल कंसोर्टियम" की मद में 44,000/- रुपये (**कुल 88,000/- रुपये**) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 18,000/- रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 16,500-16,500/- रुपये (**कुल 33,000/- रुपये**) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को मेडिकल बिलों की मद में 1,11,268/- रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

16. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	16,29,600 / -
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 88,000 / -
3.	अंतिम संस्कार के मद में	16,500 / -
4.	सम्पदा की हानि के मद में	16,500 / -
5.	मेडिकल बिलों की मद में	1,11,268 / -
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		18,61,868 / -
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		5,54,180 / -
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		13,07,688 / -

17. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **5,54,180 / - रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **18,61,868 / - रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

18. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

19. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

20. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

21. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J